यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/96/2018 **दिनांक :** 09.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

चिकित्सा बीमा योजना

जैसा कि आपको पूर्व में अवगत कराया गया था, आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य चिकित्सा बीमा योजना के आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण के संबंध में कल दिनांक 08.08.2018 को एक बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में हुई चर्चा के विषय में एआईबीए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/70/2018/33 दिनांक 9.8.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

चिकित्सा बीमा योजना पर आईबीए के साथ चर्चा

जैसा कि पहले ही इकाईओं को सूचित किया गया है, आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य आज द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई जो आगामी अवधि 2018–19 के लिए सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ही साथ सेवानिवृत्तों के लिए हमारी चिकित्सा बीमा नीति के नवीनीकरण के सम्बन्ध में थी। आईबीए की टीम का प्रतिनिधित्व श्री राजकुमार, उप मुख्य कार्यकारी, श्री एस के कक्कड़, वरिष्ठ सलाहकार (मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध), तथा श्री के एस चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (मानव संसाधन) ने किया। हमारी सभी घटक यूनियनें बैठक में उपस्थित थीं।

आईबीए ने हमें सूचित किया गया यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं0 ने सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ–साथ सेवानिवृत्तों दोनों के लिए नीतियों पर प्रीमियम में वृद्धि के लिए अपना प्रस्ताव दे दिया है जो निम्न प्रकार है :

सेवारत कर्मचारी/अधिकारी	:	मौजूदा दर के ऊपर प्रीमियम में 29% की वृद्धि
सेवानिवृत्त (घरेलू उपचार के बिना)	:	मौजूदा दर के ऊपर प्रीमियम में 110% की वृद्धि
सेवानिवृत्त (घरेलू उपचार सहित)	:	मौजूदा दर के ऊपर प्रीमियम में 144% की वृद्धि

हमने प्रीमियम की दर में इतनी अधिक वृद्धि के लिए दृढ़तापूर्वक आपत्ति उठाई और आईबीए को सूचित किया कि विशेष रूप से सेवानिवृत्तों के लिए प्रीमियम में वृद्धि बहुत अधिक है और यह वास्तविक दावा अनुपात के अनुपात में प्रतीत नहीं होती। हमने आईबीए से आग्रह किया कि प्रीमियम को कम करने के लिए यूआईआईसी के साथ मामले को उठायें।

जारी पृष्ठ 2

आईबीए ने हमें सूचित किया कि उन्हें इसके बारे में पता है और मामले को यूआईआईसी के साथ उठाया जा रहा है। हमने इंगित किया कि मुद्दे को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

- नीति को बंद करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। नीति को जारी रखा जाना चाहिए और नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
- प्रीमियम दरों को कम किया जाना चाहिए।
- यूआईआईसी के साथ लंबित चर्चा, सेवारत कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्तों दोनों के लिए नीति को यथानुपात प्रीमियम के साथ 31.12.2018 तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- प्रीमियम दर को अंतिम रूप देते समय वार्षिक प्रीमियम के अग्रिम भुगतान की लागत का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- संशोधित प्रीमियम दरों का निर्धारण करते समय सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों की आयु प्रोफाइल में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- आईबीए को प्रीमियम राशि पर जीएसटी की छूट के लिए सरकार के साथ मामले को उठाना चाहिए।
- नवीनीकृत नीति में बिल/प्रतिपूर्ति की विलंबित मंजूरी के लिए जुर्माना वाक्यांश शामिल किया जाना चाहिए।
- यदि दलाल योजना में शामिल नहीं होगा, तो दावों के खंडन के मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- बफर आवंटन के तहत राशि की मंजूरी के लिए आईबीए द्वारा एकरूप दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए।
- प्रीमियम को सेवारत कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्तों दोनों को मिलाकर समग्र आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- सेवानिवृत्तों के लिए प्रीमियम का भी प्रबंधन द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

आईबीए ने हमारे द्वारा उठाए गए उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान दिया और आश्वस्त किया कि इससे आगे निपटने के दौरान इन विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

वार्ता का अगला दौर 18.8.2018 को :

द्विपक्षीय वार्ता (उप–समिति) का अगला दौर 18 अगस्त, 2018 को होगा। अधिकारी संगठनों के साथ पूर्वाह्न में तथा कामगार यूनियनों के साथ अपराह्न में चर्चा आयोजित की जायेगी।

ह.. एस के बन्दलीश, संयोजक, यूएफबीयू

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री